12016/17/81-SCD(R/Cell)
Government of India
Ministry of Welfare

New Delhi, dated the 12th Feb. 96

To

The Commissioner & Secretary,
SC Welfare Department,
Government of Himachal Pradesh,
Shimla.

Subject : Inclusion of Giripar/Hati as a Scheduled Tribe in the list of S.T. in Himachal Pradesh.

Sir,

I am directed to state that 'Hati samity(Regd.)' a delegation from Himachal Pradesh submitted a representation requesting for consideration of Giripar as a 'Scheduled area' and the inhabitants of the area 'Hati' as Scheduled Tribes.

It is requested to furnish the following ethnographic information for examination of proposal.

(i) whether the residents of 'giripar' area are called as 'Hati'.

(ii) Does 'Hati' cover many castes/tribes of distinct ethnic affiliations or does it stand for a simple ethnic group.

(iii) Does 'Hati' possess district tribal characteristics. If 'Hati' stands for different ethnic groups, then which are they and how many of those possess tribal characteristics.

The above pointwise information may kindly be furnished for further process of the case.

Yours faithfully,

(Dr. R.K. Shrivastava)
Director

सियासी कसरत छत्तीस वर्ष बाद मिली हिमाचली गद्दी गुज्जरों को नई पहचान

धर्मशाला में आज होगा गद्दी-गुज्जर महासम्मेलन

राकेश सूद

पालमपुर, 8 जून। हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश के नए क्षेत्रों के गद्दियों और गुज्जरों को जनजातीय दर्जा देने की घोषणा से इस समुदाय के लोगों को नई पहचान मिली है। 1999 में केंद्र में कांगड़ा-चंबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भारी बहुमत के बाद लोकसभा में आने के बाद केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने सबसे पहले गद्दियों और गुज्जरों को जनजातीय दर्जा दिलवाने का ही कार्य हाथ में लिया। इस कार्य के लिए पुरानी कड़ियां जोड़ना अत्यंत दुष्कर कार्य था। केंद्रीय मंत्री ने जब जनजातीय कार्य विभाग से इस संदर्भ में संपर्क स्थापित किया तो पाया कि दस्तावेजों के अभाव में मंत्रालय के पास कुछ भी नहीं था जिससे गद्दी/गुज्जरों का मामला आगे बढ़ पाता।

वर्ष 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जब पंजाब के कुछ क्षेत्र हिमाचल में विलय किए गए तो इन क्षेत्रों के गद्दी और गुज्जर जनजातीय दर्जे से वंचित रहे। विडंबना यह थी कि पुराने हिमाचल में बसने वाले इसी समुदाय के लोगों को जनजातीय दर्जा प्राप्त था। कांगड़ा जिले के धौलाधार घाटी के उस पार चंबा जिला में रहने वाले गद्दियों को तो जनजातीय दर्जा प्राप्त था, जबकि धौलाधार घाटी के इस पार कांगड़ा जिला में रहने वाले गद्दी इस सुविधा से वंचित थे। इसी प्रकार चंबा के गुज्जरों को जनजातीय दर्जा दिया गया था, जबकि हिमाचल में विलय किए गए कांगड़ा, नालागढ़ जैसे क्षेत्रों में बस रहे गुज्जरों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। एक जैसी संस्कृति, एक जैसा रहन-सहन, इसके बावजूद यह सामाजिक विसंगति इस समुदाय के लोगों को संघर्ष के लिए बाध्य कर रही थी।

वस्तुतः आजादी के बाद वर्ष 1950 में राज्यों के संबंध में केंद्र द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची अधिसूचित की गई थी। वर्ष 1955 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने का कहा गया तथा इस आयोग की सिफारिशों के बाद इन आदेशों में व्यापक संशोधन किए गए। संशोधन की प्रक्रिया निरंतर चलती रही और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के दृष्टिगत इन आदेशों में पुनः संशोधन किए गए। वर्ष 1976 में बहुत सारे समुदायों पर लागू क्षेत्र प्रतिबंध हटा दिए गए ताकि संपूर्ण राज्य के संबंध में समुदायों को विनिर्दिशित किया जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय को अब समस्त भारत से 139 मामले प्राप्त हुए थे जिन्हें अनुमोदित प्रक्रिया के बाद सही पाया गया।

इस निर्णय के बाद हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और गोवा की 12 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में हिमाचल प्रदेश के बेड़ा, गद्दी और गुज्जर समुदाय के लोग शामिल किए गए। इस उद्देश्यार्थ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की धारा (4) भाग (ड) में संशोधन प्रस्तावित है। इस संबंध में विधेयक आगामी संसद सत्र में प्रस्तुत कर दिया जाएगा और फिर संविधान के अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के नए इलाकों के गद्दियों और गुज्जरों को पिछले 40 वर्षों से जनजातीय दर्जे के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा था। चुनावों के दौरान प्रत्येक राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को अवश्य [illegible] देकर ही गद्दियों और गुज्जरों को बहलाती रही।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह मामला कई बार निरस्त कर दिया था। असमंजस की इस स्थिति में केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय मंत्रालय से इस संबंध में पुनः विचार करने का अनुरोध किया लेकिन मंत्रालय ने कोरा जवाब दिया कि इस मामले पर दोबारा विचार नहीं हो सकता। शांता कुमार ने हार न मानी और रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया से इस मामले पर विचार करने के लिए संपर्क साधा। एंथ्रोपोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के रजिस्ट्रार ने शांता कुमार से इस मामले में लंबी बातचीत की और कहा कि मृतप्रायः इस मामले में दोबारा विचार करना असंभव है। काफी मशक्कत के बाद रजिस्ट्रार जनरल इस मामले पर विचार करने के लिए सहमत हो गए। राज्य में यह विरोधाभास राज्य के पुनर्गठन के समय पैदा हुआ जबकि कांगड़ा जिले सहित पंजाब के कई क्षेत्रों का हिमाचल में विलय किया गया था। एंथ्रोपोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के निदेशक से संपर्क साधा गया, जिन्होंने इस मामले में पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। एंथ्रोपोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया ने सितंबर 2000 में एक दल का गठन कर उसे कांगड़ा और चंबा जिले में दौरे के लिए भेजा। एक मास तक यह दल चंबा और कांगड़ा में इस समुदाय की [illegible] और संस्कृति का अध्ययन करता रहा। इस दल के निष्कर्ष की अंतिम रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया ने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय मंत्री शांता कुमार को सौंपी थी।

नत्र धूड़आ जटा वो खलारी ओ

विडंबना यह थी कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का इस संबंध में प्रस्ताव भी केंद्र के पास नहीं था। हिमाचल प्रदेश के विलयीकृत क्षेत्रों के गद्दियों और गुज्जरों को जनजातीय दर्जा प्रदान करने संबंधी हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रस्ताव भी रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया को उपलब्ध कराया गया। मामले की पूर्ण जांच के बाद रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय को अपने सुझाव दिए। सांविधिक आवश्यकता के अनुरूप मंत्रालय ने यह मामला राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन श्री भूरिया से शांता कुमार ने व्यक्तिगत अनुरोध कर इस मामले को शीघ्र निपटाने का आग्रह किया। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय राष्ट्रीय कमीशन को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा। राष्ट्रीय आयोग से अनुमोदन के पश्चात यह मामला केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया। हिमाचल प्रदेश के विलयीकृत क्षेत्रों के गद्दी और गुज्जरों के जनजातीय दर्जा प्रदान करने से शांता कुमार ने पिछले चुनाव में कांगड़ा जिले के इस समुदाय के लोगों से किया गया एक और चुनावी वादा पूरा किया है।

हिमाचल के विलयीकृत क्षेत्रों के 8 लाख से अधिक गद्दी और गुज्जर इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। उन्हें जनजातीय विकास

चल मितरा दाड़ी

योजनाओं का लाभ तो प्राप्त होगा ही साथ में राज्य की जनजातीय उप योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास के लिए अधिक धन भी मिलेगा।

No.B-SMR-23(182)/74-II.
Office of the Deputy Commissioner, Sirmur Distt;
Nahan.

Dated, Nahan, the 5th Dec, 80.

To

The Director of Welfare,
Himachal Pradesh
Simla-2.

Sub:- Declaration of Trans-Giri Area of Sirmur Distt; as Tribal Area.

Sir,

I have to refer to your letter No.2-2/71-Wel-P'd dated 14th November, 80 sending therewith a copy of d.o letter No.17/SCST/SPK/80 dated the 11th July, 1980, from Sh.T.S.Negi Member Commission and Speaker, H.P.Vidhan Sabha, addressed to the Hon'ble Chief Minister and to say that the Trans-Giri area comprises of Rajgarh and Shillai Tehsils, as also some parts of Tehsils Renuka and Paonta Since times immemorial, almost the entire population residing in the aforesaid areas has been living under poverty conditions, illiteracy, darkness, without proper medical care, roads and other means of communications. Basically the people are agriculturists entirely depend upon their most uneconomic small holdings, which they still cultivate as they had been doing in a primitive age, ignorant of the modern techniques.

Their social customs and way of life are governed by their century old traditions, known as 'Riwaj-Aam', inspite of 34 years of Independence and introductions of so many Enactments for the uplift of the down-trodden, especially the women and children. Polyandry, frequent divorces, Child-marriages etc. are not very much uncommon in these areas. Certain schemes and programmes were launched to improve the socio-economic conditions of these people, yet quite a lot more remains to be done for bringing these inhabitants at par with the people of developed regions, which can effectively be materialised only by declaring some pockets of this area, particularly Shillai Tehsil, as a tribal area, so that, more funds are available for major schemes and programmes of development in the above areas.

It may also be mentioned here that Jaunsar Bawar areas, which earlier used to be a part of Sirmur State(now known as Sirmur District) have long been declared as 'Scheduled Tribes Areas' by the U.P.Govt. The Socio-economic and topographical conditions of the Trans-Giri area, particularly of Shillai Tehsil are absolutely. Similar to those of the Jaunsar Bawar areas and from this point of view also it is only just and proper to declare this area as a tribal area so that its development is ensured.

In the above circumstances the case for declaring the Trans-Giri areas as Scheduled Tribes area is strongly recommended.

Yours faithfully,

Sd/
Deputy Commissioner, Sirmur.

C. "Hattee" is therefore being proposed as a generic term applying to all social groups/castes that are the original inhabitants of the proposed area/region and be declared as Scheduled Tribes.

6. The report was brought to the notice of Hon'ble Chief Minister today i.e. 03-8-2016 in his office chamber. The matter was discussed in detail. During the discussion, it emerged that the "Hattee" community living in the entire Trans-Giri area share the same primitive traits, distinctive culture, geographical isolation and other feature of tribal population and therefore, it will not be appropriate to exclude some villages of Trans-Giri area for notification as Scheduled Area, even if the report submitted by Institute of Tribal Studies has suggested exclusion of certain villages. It was also felt that the entire "Hattee" community living in Trans-Giri area be recommended to be notified as Scheduled Tribe. During discussion, it also emerged that the people living in Dodra Kwar Sub Division of Shimla District, 15/20 area of Shimla and Kullu Districts also share the same tribal traits and these areas are also geographically cut off, suffer from economic backwardness and can emerge as compact tribal unit like Trans-Giri area and therefore, these people and area be also simultaneously recommended for notification as Scheduled Tribes and Scheduled Areas. It was brought to the notice of Hon'ble Chief

Attested
27/10/16

प्रत्याशी के साथ लगाया जाएगा ताकि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। ब्यूरो

और कोई सदस्यता का फॉर्म नहीं भरा। रहो सदस्यता को रिन्यू करने की बात

सुधीर शर्मा ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

चापलूसों से दूर रहें। इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी।

गोपनीय रखा गया था। ब्यूरो

हाटी समुदाय को कोई भी प्रधानमंत्री नहीं दिला पाया जनजातीय दर्जा

सिरमौर के गिरिपार को नहीं मिल पाया हक, भारत सरकार के पास अटकी है फाइल

संजय भारद्वाज

नाहन (सिरमौर)। पहले मनमोहन सिंह और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिरमौर के गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिलाने की फरियाद लगाई गई, लेकिन आज तक हाटी समुदाय को कोई भी प्रधानमंत्री जनजातीय दर्जा नहीं दिला सका।

1299 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले गिरिपार में सवा लाख वोटर और पौने तीन लाख की आबादी है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद जनजातीय दर्जे का मामला महापंजीयक भारत सरकार (आरजीआई) के कार्यालय में अटका हुआ है। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव नेताओं ने इस मुद्दे को खूब भुनाया, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद इनकी किसी को याद नहीं आई। चुनावी फिजा में अब नेताओं ने इस मुद्दे को फिर हवा दे दी है। वोटर भी अब इस मुद्दे पर नेताओं से अपना स्पष्ट रुख चाह रहे हैं।

चुनावी मुद्दा

गिरिपार का हाटी समुदाय उत्तराखंड के जोंसार बाबर क्षेत्र के जोंसारी समुदाय की तर्ज पर मांग कर रहा है। 1815 में सिरमौर रियासत से अलग होने वाला जोंसार बाबर को 1967 में केंद्र सरकार ने जनजाति का दर्जा दिया था।

जोंसार बाबर और सिरमौर के गिरिपार की लोक संस्कृति, लोक परंपरा, रहन-सहन एक समान है। दोनों समुदायों में दाईचारे (भाईचारे) का रिश्ता है। दोनों के वंशज एक ही माने जाते हैं। इनके गांवों के नामों और भाषा में भी समानता है। गिरिपार को उतरोऊ और जोंसार बाबर का उतलेऊ इसके उदाहरण है। सितंबर 2018 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं हाटी मुद्दे को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा की।

छह दिसंबर 2018 को सांसद वीरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में केंद्रीय हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री से मिला। आरजीआई को गृहमंत्री ने जल्द कार्यवाही के निर्देश दिए। लेकिन; फाइल नहीं बढ़ पा रही। हाटी समिति ने 21 फरवरी 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 14 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात भी की। इससे पहले की सरकारों के प्रयास भी नाकाफी रहे।

14 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 21 फरवरी 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करते केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारी और नेता। - फाइल फोटो

गिरिपार क्षेत्र में आती हैं 23 पंचायतें

सिरमौर जिले की कुल 25 पिछड़ी पंचायतों में से 23 पंचायतें गिरिपार क्षेत्र में आती हैं। हाटी समिति के अनुसार प्रतिव्यक्ति आय में जनजातीय जिला किन्नौर की 2,17993 रुपये के मुकाबले सिरमौर की प्रतिव्यक्ति आय मात्र 31,348 रुपये है। यदि पांवटा और नाहन को अलग किया जाए तो यहां की प्रतिव्यक्ति आय मात्र दस हजार रह जाती है। औद्योगिक क्षेत्र और उपजाऊ कृषि भूमि पांवटा और नाहन तहसीलों में ही पड़ती है। उल्लेखनीय है कि लोकुर कमीशन के अनुसार जनजातीय शोध संस्थान शिमला ने दो अगस्त 2016 को अपनी रिपोर्ट हिमाचल सरकार को सौंपी। तीन अगस्त को हिमाचल मंत्रिमंडल ने सर्वे रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा। जिस पर आरजीआई ने तीन सवालों के जवाब मांगे। इनमें गिरिपार क्षेत्र की पंचायतों के अनुसार जनसंख्या, गिरिपार और जोंसार बाबर क्षेत्र का साथ लगता भौगोलिक नक्शा और राज्यपाल की संस्तुति शामिल है। ये शर्तें राज्य सरकार पूरी कर चुकी है फिर भी मामला आरजीआई के पास लंबित है।

अब बातें नहीं, रुख तय करें नेता : समिति

केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष अमीचंद और महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री का कहना है कि गिरिपार क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं तभी बचेंगी जब हाटी समुदाय को जनजाति का विशेष दर्जा मिलेगा। चुनाव में सभी राजनीतिक दल हाटी मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करें। मन बहलाने वाली बात अब नहीं चलेगी। केंद्र में बनने वाली नई सरकार से हाटी समिति संपर्क करेगी। बात नहीं बनी तो अंतिम विकल्प न्यायालय में जाने का रहेगा।

गिरिपार को एसटी दर्जा देने का मुद्दा भाजपा सरकार ने गंभीरता से उठाया है। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने मामले को केंद्र तक पहुंचाने के भरसक प्रयास किए। कांग्रेस प्रत्याशी जब सांसद थे तो उन्होंने कभी इस मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया। मैं सांसद बना तो संसद में मामला उठाऊंगा। विधानसभा में भी मैंने मामला उठाया था। - सुरेश कश्यप, भाजपा प्रत्याशी

प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही प्रस्ताव पारित कर मामला केंद्र को भेजा था। गिरिपार जनजाति दर्जा हासिल करने का हकदार है। जोंसार बाबर और गिरिपार की संस्कृति, रहन-सहन आदि एक समान है। इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। चुनाव में जीत मिली तो गिरिपार को एसटी का दर्जा देने का मामला संसद में जोरशोर से उठाऊंगा। - डॉ. धनीराम शांडिल, कांग्रेस प्रत्याशी

JAI RAM THAKUR

CHIEF MINISTER
HIMACHAL PRADESH
SHIMLA-171 001

D.O.No. TBD (F) 4-1/2018
Dated: Shimla-2, the 4th August, 2018

Respected Rajnath Singh ji,

Our Government has adopted "Vision Document of Bhartiya Janta Party,2017" as it's Policy Document and all possible steps are being taken to fulfil the promises made. One of the promise specifically made to the people of Giripar Area of District Sirmour known as "Hattee Community" is that all efforts will be made to declare this Community as Scheduled Tribe.

The proposal for notifying the entire "Hattee" community living in Trans-Giri area of Sirmour District as Scheduled Tribe and entire Trans-Giri Area of Sirmour District as Scheduled Area is under consideration with the Ministry of Tribal Affairs, GoI for a long time. The additional information as sought by the Ministry vide letter dated 25th April, 2017(copy enclosed) has been submitted to the Ministry vide letter dated 19th July, 2018 (copy enclosed).

I shall be grateful if your goodself intervene in the matter and issue necessary advisory to the Ministry of Tribal Affairs, GoI for taking immediate positive steps to declare the entire "Hattee" community living in Trans-Giri area of Sirmour District as Scheduled Tribe and entire Trans-Giri Area of Sirmour District as Scheduled Area.

with regards,

Yours sincerely,

(Jai Ram Thakur)

Sh. Rajnath Singh,
Hon'ble Union Minister,
Ministry of Home Affairs,
North Block, Central Secretariat
New Delhi-110011

State as mentioned above. However, in view of position given above, the Director, Institute of Tribal Studies has submitted the report with regard to Trans-Giri area of Sirmour District only. The Institute has not yet completed the study of remaining areas.

4. The main conclusions and proposal are available at Page/50-51 and Annexure-I (Page-i to iii) read with Annexure-III (Page-viii) Annexure-IV (Page-ix) of the report.

5. In brief the proposal in the report is as under:-

A. The "Hattee" of the Trans-Giri Area is one who hails from:

1. areas from where business trips were traditionally made to the Jaunsar-Bawar area and that to this day maintain cultural and interpersonal relations with Jaunsar-Bawar.
2. areas of present day "Trans-Giri" which has been the traditional "territory" of the Divine King Mahasu and they are therefore, to this day, His subjects

B. Villages listed at Annexure-I, Serial Numbers: 1-50 for CD Block Rajgarh; 1-50 for CD Block Shillai; 1-122 for CD Block Sangrah; 1-45 for Kamrau Tehsil and 1-31 for CD Block Paonta Sahib, of Trans-Giri area of Sirmour District which manifest characteristic similar to Jaunsar-Bawar, are proposed to be declared as Scheduled Areas.

8. **सरकारी संकल्प:-**

श्री जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि:-

i) "केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में रहने वाले समस्त गद्दी एवं गुज्जर समुदाय को अनुसूचित जन-जाति घोषित करवाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गये अथक प्रयत्नों की यह सदन सराहना करता है।"

ii) "यह सदन केन्द्र सरकार से पुरज़ोर सिफारिश करता है कि प्रदेश में लवाना समुदाय, सिरमौर जिला के तहसील संगड़ाह, शिलाई एवं उप-तहसील कमराऊ तथा पाँटा तहसील की पंचायत नघेता, अम्बोआ, डांडरा पागर, शिव, बनौर, डांडाक्लाअम्ब तथा भड़ासा, शिमला जिला के डोडराक्वार तहसील, कांगड़ा जिला के छोटा भंगाल तथा बड़ा भंगाल क्षेत्र, जिला मण्डी के चौहार घाटी का क्षेत्र तथा जिला कुल्लू के मलाणा क्षेत्र के निवासी समुदायों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(1)(2) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाये।"

9. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :-**

श्री वीरभद्र सिंह,
श्री कौल सिंह,
श्री राम लाल ठाकुर
श्री महेन्द्र सिंह } प्रस्ताव करेगें कि :-

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन चर्चा करें।

(अजय भण्डारी),
सचिव।

शिमला-171004.
दिनांक: 23.8.2002.

नोट:- अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हों, तो कृपया उसकी भी जांच कर ले।

....